न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2025 / 23 दर्ज तिथिः–17.01.2025

1. मेहराराम पुत्र देदाराम
जाति जाट साकिन बनाणियों की बेरी, खारिया खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....................प्रार्थीगण

बनाम

1. घमण्डाराम पुत्र देदाराम
2. चम्पादेवी पत्नी पोकरराम
3. जेठाराम पुत्र भूराराम
4. ठाकरराम पुत्र भूराराम
5. देरामाराम पुत्र भूराराम
6. नानगाराम पुत्र पोकरराम
जाति जाट साकिन बनाणियों की बेरी खारिया खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार (भू.अ.) नोखड़ा जिला बाड़मेर

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ठाकरराम
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–16.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 49 हाल खसरा संख्या 260 / 0.0405 है0, 261 / 7.2244 है0, 264 / 4.6598 है0 में प्रार्थी 1 / 6 हिस्से का खातेदार एवं खाता संख्या 75 हाल खसरा संख्या 237 / 17.0214 है0 मौजा बनाणियों की बेरी पटवार मण्डल खारिया खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 49 एवं 75 में प्रार्थी का नाम भैराराम पुत्र देदाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम मेहराराम पुत्र देदाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम मेहराराम पुत्र देदाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नोखड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मेहराराम पुत्र देदाराम के स्थान पर भैराराम पुत्र देदाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में भैराराम पुत्र देदाराम दुरूस्त कर सही नाम मेहराराम पुत्र देदाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–2079 वाके ग्राम बनाणियों की बेरी के नवीन खाता संख्या 49 एवं 75 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या	खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
49	भैराराम पुत्र देदाराम जाति जाट	1 / 6	260 261 264	0.0405 7.2244 4.6598
75	भैराराम पुत्र देदाराम जाति जाट	1 / 6	237	17.0214

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
नामांतरकरण संख्या 03 मौजा बनाणियों की बेरी	मेरा पुत्र देदा
पहचान पत्र	मेहराराम पुत्र देदाराम
जॉब कार्ड	मेहराराम पुत्र देदाराम
परिवार राशन कार्ड	मेहराराम
राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक की खाता डायरी	मेहराराम पुत्र देदाराम
आधार कार्ड	मेहराराम पुत्र देदाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

   1. *कि प्रार्थी मेहराराम पुत्र देदाराम एवं उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भैराराम पुत्र देदाराम एक ही व्यक्ति है।*
   2. *कि प्रार्थी मेहराराम वल्द देदाराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम भैराराम वल्द देदाराम के स्थान पर मेहराराम पुत्र देदाराम दर्ज किया जाना उचित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मेहराराम पुत्र देदाराम एवं भैराराम पुत्र देदाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम मेहराराम पुत्र देदाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यदित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज भैराराम पुत्र देदाराम को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट मेहराराम पुत्र देदाराम का अंकन करने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:09 IST
Reason: SelfAttested